

नेशनल लोक अदालत दिनांक : 10/02/2018

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपीगण मीरा देवी एवं महादेव सहित श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।

फरियादी/आवेदक कलावती सहित श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक कलावती पत्नी महाराज सिंह, निवासी :- ग्राम रूपावई, थाना-मौ, जिला-भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक कलावती ने उसके अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी/आहत कलावती अभियोजित अपराध की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506

भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण को भा.द. सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. पुष्पराज गुर्जर अधिवक्ता (सदस्य)

02. मेहबूब खॉ अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

जिला भिण्ड